प्रेस हेतु सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं0 14/2016)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2016

तुरंत जारी करने हेतु

वेबसाइटः **www.trai.gov.in**

''सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए ''भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट''

आज भारतीय दूरसंचार विनियाम प्राधिकरण ने सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए ''भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट'' जारी की। यह रिपोर्ट दूरसंचार सेवाओं का एक व्यापक परिदृश्य उपलब्ध कराती है तथा 1 जुलाई, 2015 से 30 सितंबर, 2015 की अवधि के लिए भारत में दूरसंचार सेवाओं के साथ–साथ केबल टेलीविजन, डीटीएच तथा रेडियो प्रसारण सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण मानदण्ड तथा विकास के रूझानों को प्रस्तुत करती है तथा इसे सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर संकलित किया जाता है।

उक्त रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश यहॉ संलग्न है। संपूर्ण रिपोर्ट भारतीय दूरसंचार विनियाम प्राधिकरण की वेबसाईट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु कृपया संपर्क करें–

श्रीमती विनोद कोतवाल,
सलाहकार(एफ एण्ड ईए),
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग,
नई दिल्ली–110 002
फोन–011–2323 0752
फैक्स–011–232 36650
ई–मेल : advfea1@trai.gov.in

जारी करने के लिए प्राधिकृत

(विनोद कोतवाल)
सलाहकार(एफ एण्ड ईए)

भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादक संकेतक रिपोर्ट
जुलाई से सितंबर, 2015

कार्यकारी सारांश

1. देश में दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या जून, 2015 के अंत में 1,006.96 मिलियन से बढ़कर सितंबर, 2015 के अंत में 1,022.61 मिलियन हो गई, जिसमें पिछली तिमाही की तुलना में 1.55 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में वर्ष–दर–वर्ष (वाई.ओ.वाई) आधार पर 5.83 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। देश में 30 जून, 2015 को समग्र दूरसंचार घनत्व 79.98 से बढ़कर 30 सितंबर, 2015 को 80.98 हो गया।

देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या तथा दूरसंचार घनत्व का रूझान

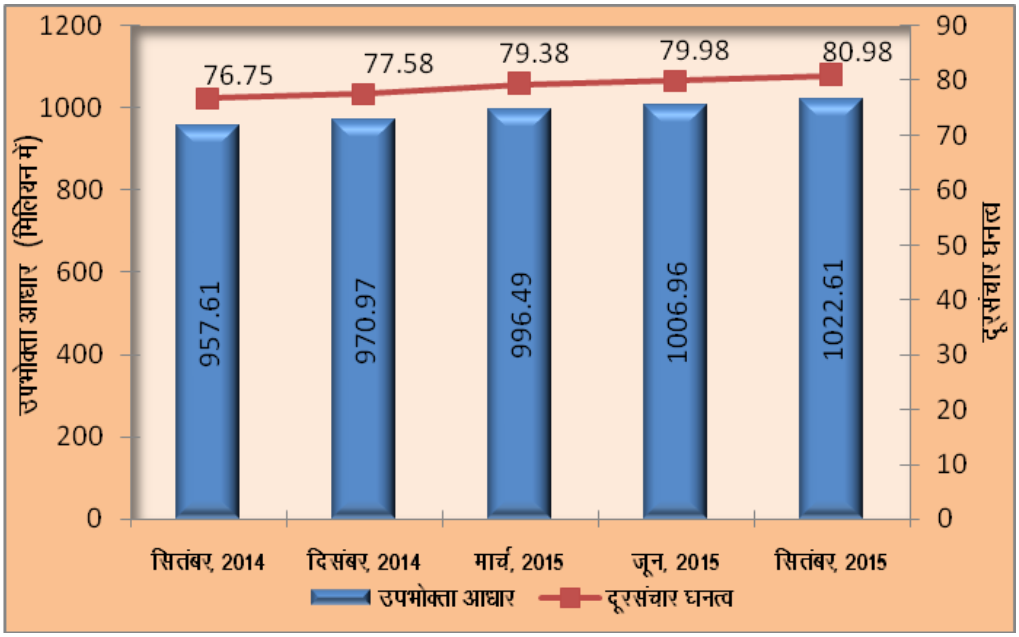

2. जून, 2015 के अंत तक शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या 584.21 मिलियन से बढ़कर सितंबर, 2015 के अंत में 599.01 मिलियन हो गया तथा शहरी दूरसंचार घनत्व 149.70 से बढ़कर 153.49 हो गया। ग्रामीण दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या 422.75 मिलियन से बढ़कर 423.61 मिलियन हो गया तथा ग्रामीण दूरसंचार घनत्व भी इसी अवधि के दौरान 48.66 से बढ़कर 48.76 हो गया।

3. कुल दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या में से, ग्रामीण उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी जून, 2015 के अंत तक 41.98 प्रतिशत से घटकर सितंबर, 2015 के अंत तक 41.42 रह गई।

दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या का वितरण

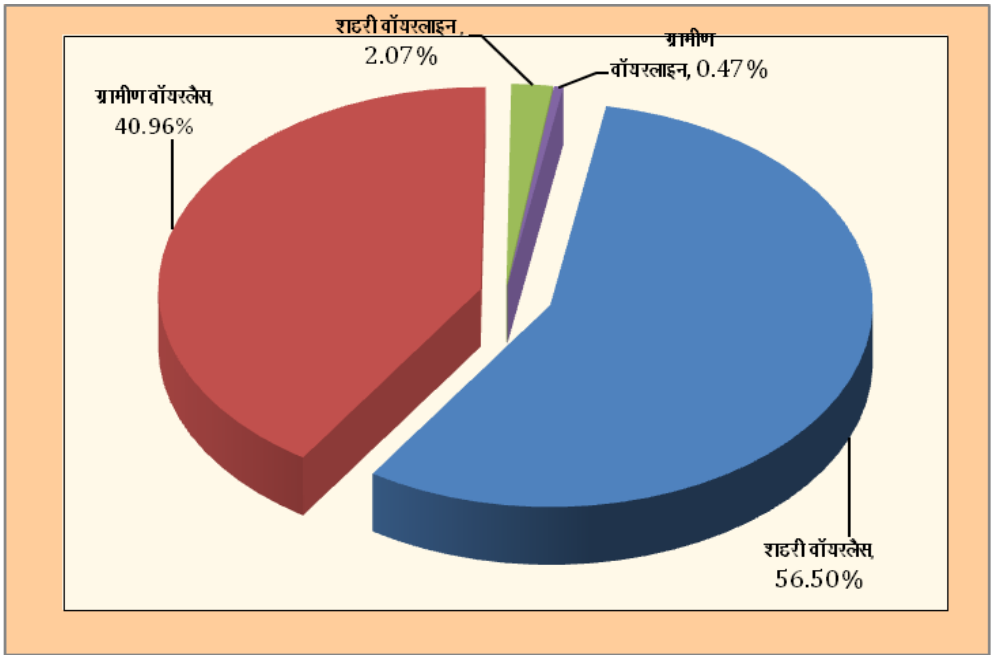

4. इस तिमाही के दौरान 15.85 मिलियन निवल नए उपभोक्ताओं के जुड़ने के साथ ही जून, 2015 के अंत तक कुल वॉयरलैस (जीएसएम+सीडीएमए) उपभोक्ताओं का आधार 980.81 मिलियन से बढ़कर सितंबर, 2015 के अंत तक 996.66 मिलियन हो गया, जिसमें पिछली तिमाही की तुलना में 1.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सितंबर, 2015 के लिये वॉयरलैस उपभोक्ताओं की वार्षिक वृद्धि दर 7.14 प्रतिशत रही।

5. वायरलैस दूरसंचार घनत्व जून, 2015 के अंत में 77.90 से बढ़कर सितंबर, 2015 के अंत में 78.93 हो गया।

6. वॉयरलाइन उपभोक्ताओं की संख्या जून, 2015 के अंत में 26.15 मिलियन से और अधिक गिरकर सितंबर, 2015 के अंत में 25.95 मिलियन हो गया तथा इसमें 0.76 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। सितंबर, 2015 के लिए वॉयरलाइन उपभोक्ताओं की वर्ष दर वर्ष (वाई.ओ.वाई.) कमी 5.30 प्रतिशत दर्ज की गई।

7. वॉयरलाइन दूरसंचार घनत्व जून, 2015 के अंत में 2.08 से घटकर सितंबर, 2015 के अंत में 2.06 रह गया।

8. इंटरनेट उपभोक्ताओं की कुल संख्या जून, 2015 के 319.42 मिलियन से बढ़कर सितंबर, 2015 में 324.95 मिलियन हो गई जिसमें 1.73 प्रतिशत की तिमाही वृद्धि दर दर्ज की गई। 324.95 मिलियन में से वायरलाईन इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 19.60 मिलियन तथा वायरलैस इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 304.85 मिलियन है।

इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या का वितरण

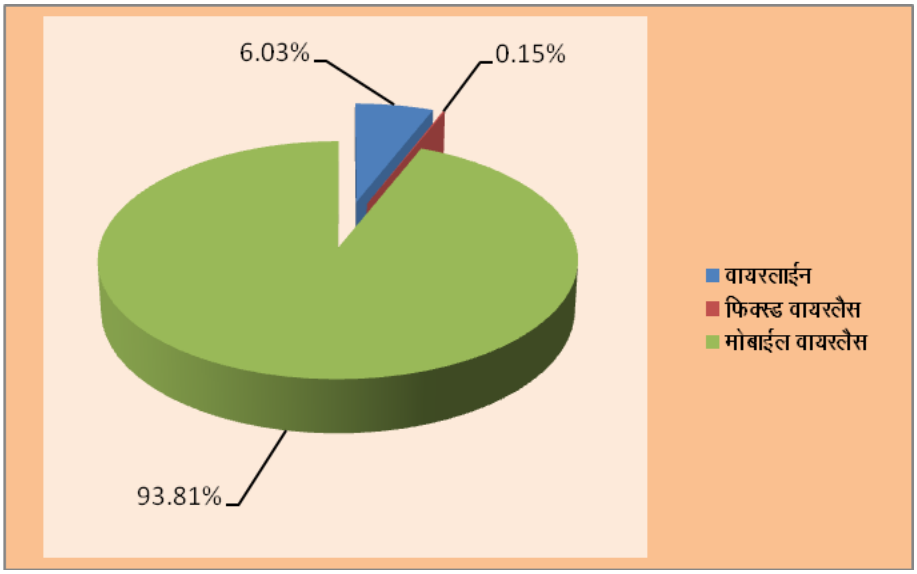

9. ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या जून, 2015 के अंत में 108.85 मिलियन से बढ़कर सितंबर, 2015 के अंत में 120.88 मिलियन हो गई जिसमें 11.05 प्रतिशत की तिमाही वृद्धि दर दर्ज की गई।

10. नैरोबैंड इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या जून, 2015 के अंत में 210.57 मिलियन से घटकर सितंबर, 2015 के अंत में 204.07 मिलियन हो गई जिसमें 3.09 प्रतिशत की तिमाही ह्रास दर दर्ज की गई।

11. जीएसएम सेवा के लिए प्रति उपभोक्ता मासिक औसत राजस्व (एआरपीयू) 2.98 प्रतिशत तिमाही ह्रास के साथ जून, 2015 को समाप्त तिमाही के 126 रुपए से घटकर सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में 122 रुपए हो गया। जबकि जीएसएम सेवा के लिए मासिक एआरपीयू इस तिमाही में वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 5.58 प्रतिशत की दर से बढ़ गया।

12. जीएसएम सेवा के लिए प्रतिमाह प्रीपेड एआरपीयू जून, 2015 को समाप्त तिमाही में 109 रुपए से घटकर सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में 105 रुपए हो गया तथा प्रतिमाह पोस्ट–पेड एआरपीयू जून, 2015 को समाप्त तिमाही में 501 रुपए से घटकर सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में 490 रुपए हो गया।

13. अखिल भारतीय औसत आधार पर जीएसएम सेवा के लिए समग्र उपयोग की गई मिनट (एमओयू) प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह जून, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए 388 से घटकर सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए 374 हो गया।

14. जीएसएम सेवा के लिए एमओयू प्रति उपभोक्ता जून, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए 363 से घटकर सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए 349 हो गया तथा पोस्ट–पेड एमओयू जून, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए 937 से घटकर सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए 917 हो गया।

15. सीडीएमए पूर्ण मोबिलिटी सेवा के लिए प्रति उपभोक्ता मासिक औसत राजस्व (एआरपीयू) जून, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए 107 रुपए से घटकर सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए 106 रुपए हो गई। सीडीएमए पूर्ण मोबिलिटी सेवा के लिए मासिक एआरपीयू इस तिमाही में वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 3.67 प्रतिशत घट गया।

16. सीडीएमए पूर्ण मोबिलिटी हेतु कुल एमओयू प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह में 2.50 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई अर्थात् जून, 2015 को समाप्त तिमाही में 263 से घटकर सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में 256 हो गया। जून, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए बहिर्गामी (ऑऊटगोईंग) एमओयू 145 से घटकर सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में 144 हो गया और अंतर्गामी (इनकमिंग) एमओयू जून, 2015 को समाप्त तिमाही में 118 से घटकर सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में 112 रह गया।

17. सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए दूरसंरचार सेवा क्षेत्र हेतु सकल राजस्व (जीआर) तथा समयोजित सकल राजस्व (एजीआर) क्रमशः 64,996 करोड़ रुपए तथा 46,257 करोड़ रुपए रहा। सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में पिछली तिमाही के मुकाबले जीआर में 0.05 प्रतिशत कमी दर्ज की गई जबकि एजीआर में 1.86 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।

18. पिछले वर्ष की इसी तिमाही में जीआर तथा एजीआर में वर्ष दर वर्ष (वाई.ओ.वाई.) क्रमशः 4.08 तथा 7.00 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

19. सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए पास–थ्रू–प्रभार, जीआर का 28.83 प्रतिशत रहे। सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए तिमाही तथा वर्ष–दर–वर्ष (वाई.ओ.वाई.) वृद्धि दर क्रमशः 4.71 प्रतिशत तथा –2.49 प्रतिशत रही।

20. जून, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए लाइसेंस शुल्क 3,783 करोड़ रुपए से घटकर सितंबर, 2015 में 3,701 करोड़ रुपए हो गया। इस तिमाही के दौरान लाइसेंस शुल्क में तिमाही तथा वर्ष–दर–वर्ष (वाई.ओ.वाई.) वृद्धि दर क्रमशः –2.18 तथा 6.98 प्रतिशत रही।

21. एक्सेस सेवाओं ने दूरसंचार सेवाओं के कुल समायोजित सकल राजस्व में 81.90 प्रतिशत का योगदान दिया। सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में एक्सेस सेवाओं में सकल राजस्व (जीआर), समायोजित सकल राजस्व (एजीआर), लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार (एसयूसी) में क्रमशः 1.36 प्रतिशत, 1.80 प्रतिशत, 1.74 प्रतिशत तथा 1.99 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई तथा पास–थ्रू प्रभारों मे 0.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

22. एजीआर आधारित एक्सेस सेवाओं के लिए प्रति उपभोक्ता मासिक औसत राजस्व (एआरपीयू) जून, 2015 को समाप्त तिमाही में 128.45 रुपए से घटकर सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही में 124.68 रुपए हो गया।

समायोजित सकल राजस्व का वितरण

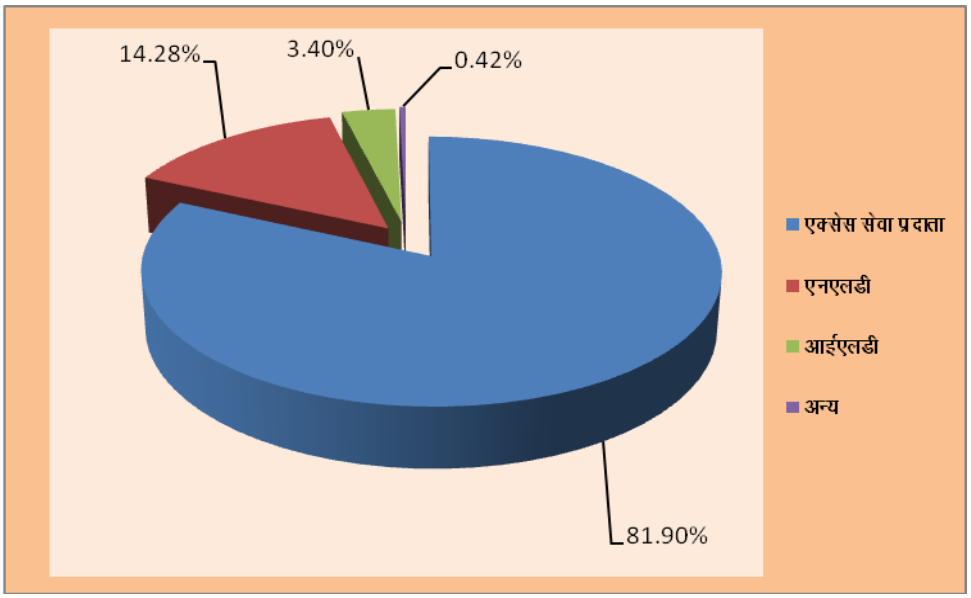

23. पिछली तिमाही की तुलना में इस तिमाही के दौरान सेवा की गुणवत्ता के संदर्भ में 2जी वॉयरलैस सेवा प्रदाताओं का निष्पादन नीचे दिया गया है:–

सेवा गुणवत्ता में सुधार दर्शाने वाले मानदण्ड	सेवा गुणवत्ता में गिरावट दर्शाने वाले मानदण्ड
• डॉऊनटाईम के कारण सबसे अधिक प्रभावित बीटीएस • प्वाईंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) कन्जेशन (बैंचमार्क पर खरा नहीं उतरने वाले पीओआई) (तिमाही की अवधि के दौरान औसत किए गए)	• कॉल सेट–अप सफलता पर (लाइसेंसधारी के स्वयं के नेटवर्क के भीतर) • कॉल ड्रॉप की दर • 3 प्रतिशत टीसीएच ड्रॉप (कॉल ड्रॉप) दर से अधिक, सर्वाधिक प्रभावित सेल • मीटरिंग तथा बिलिंग क्रेडिबिलिटी–पोस्ट पेड • मीटरिंग तथा बिलिंग क्रेडिबिलिटी–प्रीपेड • बिलिंग/चार्जिंग/क्रेडिट तथा वैधता संबंधी शिकायतों का समाधान (चार सप्ताह में 98 प्रतिशत) • बिलिंग/चार्जिंग/क्रेडिट तथा वैधता संबंधी शिकायतों का समाधान (छह सप्ताह में 100 प्रतिशत) • शिकायतों के समाधान की तिथि से उपभोक्ता के खाते में राशि जमा/छूट दिए जाने/समायोजन किये जाने की अवधि • 90 सेकण्ड के भीतर प्रचालक (वॉयस टू वॉयस) द्वारा उत्तर दी गई कॉलों का प्रतिशत • 7 दिनों के भीतर सेवा को समाप्त/बंद किए जाने हेतु अनुरोधों का प्रतिशत। • खाता बंद करने के पश्चात् निक्षेपों के प्रतिदाय में लिया गया समय।

24. पिछली तिमाही की तुलना में इस तिमाही के दौरान सेवा गुणवत्ता के संदर्भ में 3जी वायरलैस सेवा प्रदाताओं का निष्पादन नीचे दिया गया है:

सेवा गुणवत्ता में सुधार दर्शाने वाले मानदण्ड	सेवा गुणवत्ता में गिरावट दर्शाने वाले मानदण्ड
• डॉऊनटाईम के कारण सबसे अधिक प्रभावित बीटीएस तथा नोड–बी (प्रतिशत) • कॉल सेट–अप सफलता दर (लाइसेंसधारी के स्वयं के नेटवर्क के भीतर) • एसडीसीसीएच/पेजिंग चैनल तथा आरसीसी कन्जेशन(प्रतिशत) • टीसीएच तथा सर्किट स्वीच्ड आरएबी कन्जेशन (प्रतिशत) • कॉल ड्रॉप तथा सर्किट स्विच्ड वॉयस ड्रॉप दर (प्रतिशत) • अच्छी आवाज की गुणवत्ता तथा सर्किट स्विच आवाज (सीएसवी) की गुणवत्ता के साथ कनेक्शन • प्वाईंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) कन्जेशन	• 3 प्रतिशत टीसीएच ड्रॉप (कॉल ड्रॉप) दर से अधिक, सर्वाधिक प्रभावित सेल तथा सर्किट स्वीच्ड वॉयस ड्रॉप दर :– (सीबीबीएच)

25. पिछली तिमाही की तुलना में इस तिमाही के दौरान सेवा गुणवत्ता के संदर्भ में वॉयरलाइन सेवा प्रदाताओं का निष्पादन नीचे दिया गया है:

सेवा गुणवत्ता में सुधार दर्शाने वाले मानदण्ड	सेवा गुणवत्ता में गिरावट दर्शाने वाले मानदण्ड
• कॉल सेंटर/कस्टमर केयर तक पहुंच • 90 सैकिण्ड के भीतर ऑपरेटरों (वॉयस–टू–वॉयस) द्वारा उत्तर दी गई कॉलों का प्रतिशत • 7 दिनों के भीतर 100 प्रतिशत सेवा को समाप्त/बंद किया जाना	• प्रति 100 उपभोक्ता प्रति महिना खामियॉ • अगले कार्य दिवस तक ठीक की गई खामियां (शहरी क्षेत्रों के लिए) • बिलिंग/चार्जिंग/क्रेडिट तथा वैधता शिकायतों का समाधान (चार सप्ताह के भीतर 98 प्रतिशत तथा छह सप्ताह के भीतर शत प्रतिशत)

26. दिनांक 30.9.2015 की स्थिति के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा केबल अपलिकिंग/डॉऊनलिकिंग/अपलिंकिंग के लिये 819 निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों को अनुमति प्रदान की गई है।

27. जैसा कि प्रसारकों द्वारा जानकारी दी गई है दिनांक 31.06.2015 की स्थिति के अनुसार कुल 252 पे–चैनल थे। सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के दौरान तीन नए पे–चैनलों अर्थात् (i) कलर इनफिनिटी एचडी (ii) कलर इनफिनिटी तथा (iii) जी कैफे एचडी को आरंभ किया गया। इस तिमाही के दौरान एक चैनल नामतः 'द एमजीएम' को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया। आगे, दो चैनलों नामतः (i) वी एच 1 और (ii) कॉमेडी सेन्ट्रल प्रसारण के तरीके को एसडी से एचडी में परिवर्तित कर दिया गया। अब, सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के अंत तक 254 पे–चैनल हैं।

28. जिन क्षेत्रों में नॉन एड्रेसेबल प्रणालियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही है, अधिकतम संख्या में टीवी चैनलों को डिजीटल रूप में ले जाया जाता है, जैसा कि एक केबल आपरेटर (मैसर्स हैथवे केबल एण्ड डाटाकॉम लिमिटेड) द्वारा जानकारी प्रदान की गई है, जिनकी संख्या 458 है। एनालॉग के रूप में जैसा कि केबल ऑपरेटर (मैसर्स ओरटेल कम्युनिकेशन्स लि.) द्वारा जानकारी प्रदान की गई है, अधिकतम 100 टीवी चैनल ही प्रसारित किये जाते हैं।

29. डिजीटाईजेशन के साथ ही केबल टीवी क्षेत्र की एड्रेसेबिलिटी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से प्रगति पर है। इसे चार चरणों में पूर्ण किये जाने की योजना है। पहले चरण के लिए चार महानगरों में ''डिजीटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियों'' में अंतरण की तिथि 31.10.2012 थी तथा दूसरे चरण में 1 मिलियन से अधिक की जनसंख्या वाले 38 शहरों को कवर करते हुए अंतरण की तिथि 30.03.2013 थी। तीसरे तथा चौथे चरण की अंतिम तिथि क्रमशः 30.09.2014 तथा 31.12.2014 थी। तथापि, तीसरे और चौथे चरण के लिये अंतिम तिथि को क्रमशः दिनांक 31.12.2015 तथा 31.12.2016 तक बढ़ा दिया गया है।

30. दिनांक 30.09.2015 की स्थिति के अनुसार, कुल 226 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) ऐसे थे जिन्हें डिजीटल एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से केबल टेलीविजन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थायी पंजीकरण (दस वर्ष के लिए) प्रदान किया गया है तथा 173 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) ऐसे थे जिन्हें डिजीटल एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से

केबल टेलीविजन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा औपबंधिक पंजीकरण (दस वर्ष के लिए) प्रदान किया गया है।

31. ऑल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती–सार्वजनिक प्रसारक द्वारा प्रचालित रेडियो स्टेशनों के अलावा दिनांक 30 सितंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार कुल 243 निजी एफएम रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे हैं। अंतर्विष्ट जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के आधार पर प्रदान की गई है।

32. वर्तमान में, दूरदर्शन की निशुल्क डीटीएच सेवा जो कि एक सार्वजनिक प्रसारक है, के अलावा छह निजी डीटीएच प्रचालक कार्य कर रहे हैं। यह सभी निजी डीटीएच प्रचालक पे–डीटीएच सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

33. डीटीएच प्रचालकों द्वारा डीटीएच सेवाओं हेतु तिमाही पीएमआर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर इन छह निजी डीटीएच प्रचालकों द्वारा दिनांक 30 सितंबर, 2015 को कुल पंजीकृत व सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः 81.47 मिलियन तथा 41.05 मिलियन थी।

34. सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 30 सितंबर, 2015 को अब तक जारी किये गये 232 सामुदायिक रेडियो लाइसेंसों में से 187 स्टेशन ही चल रहे हैं।

मुख्य बातें

30 सितंबर, 2015 की स्थिति के अनुसार डॉटा	
दूरसंचार उपभोक्ता (वॉयरलैस+वॉयरलाइन)	
कुल उपभोक्ताओं की संख्या	1,022.61 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन	1.55 प्रतिशत
शहरी उपभोक्ताओं की संख्या	599.01 मिलियन
ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या	423.61 मिलियन
निजी प्रचालकों की बाजार हिस्सेदारी	89.98 प्रतिशत
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रचालकों की बाजार हिस्सेदारी	10.02 प्रतिशत
दूरसंचार घनत्व	80.98
शहरी दूरसंचार घनत्व	153.49
ग्रामीण दूरसंचार घनत्व	48.76
वॉयरलैस उपभोक्ता	
कुल वॉयरलैस उपभोक्ताओं की संख्या	996.66 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन	1.62 प्रतिशत
शहरी उपभोक्ताओं की संख्या	577.82 मिलियन
ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या	418.84 मिलियन
जीएसएम उपभोक्ताओं की संख्या	948.55 मिलियन
सीडीएमए उपभोक्ताओं की संख्या	48.11 मिलियन
निजी प्रचालकों की बाजार हिस्सेदारी	91.64 प्रतिशत
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रचालकों की बाजार हिस्सेदारी	8.36 प्रतिशत
दूरसंचार घनत्व	78.93
शहरी दूरसंचार घनत्व	147.35
ग्रामीण दूरसंचार घनत्व	48.11
वॉयरलाइन उपभोक्ता	
कुल वॉयरलाइन उपभोक्ताओं की संख्या	25.95 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन	-0.76 प्रतिशत
शहरी उपभोक्ताओं की संख्या	21.18 मिलियन
ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या	4.77 मिलियन
निजी प्रचालकों की बाजार हिस्सेदारी	26.12 प्रतिशत
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रचालकों की बाजार हिस्सेदारी	73.88 प्रतिशत
दूरसंचार घनत्व	2.06
शहरी दूरसंचार घनत्व	5.40
ग्रामीण दूरसंचार घनत्व	0.55
ग्रामीण पब्लिक टेलीफोन की संख्या (वीपीटी)	5,87,280
पब्लिक कॉल ऑफिसों की संख्या (पीसीओ)	6,58,115

इंटरनेट/ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	
कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या	324.95 मिलियन
नैरोबैंड उपभोक्ताओं की संख्या	204.07 मिलियन
ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या	120.88 मिलियन
वॉययलाईन इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या	19.60 मिलियन
वॉयरलैस इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या	305.35 मिलियन
शहरी इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या	213.44 मिलियन
ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या	111.51 मिलियन
प्रति 100 जनसंख्या पर कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या	25.73
प्रति 100 जनसंख्या पर कुल शहरी इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या	54.43
प्रति 100 जनसंख्या पर कुल ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या	12.81
प्रसारण और केबल सेवाएं	
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों की संख्या	819
निजी एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या	243
पंजीकृत डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या	81.47 मिलियन
एक्टिव डीटीएच उपभोक्ताओं की संख्या	41.05 मिलियन
दूरसंचार वित्तीय आंकडे (सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए)	
तिमाही के दौरान सकल राजस्व (जीआर)	64,996 करोड़ रुपए
पिछली तिमाही की तुलना में जीआर में प्रतिशत परिवर्तन	-0.05 प्रतिशत
तिमाही के दौरान समायोजित सकल राजस्व (एजीआर)	46,257 करोड़ रुपए
पिछली तिमाही की तुलना में एजीआर में प्रतिशत परिवर्तन	-1.86 प्रतिशत
एक्सेस एजीआर में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की हिस्सेदारी	10.82 प्रतिशत
एक्सेस सेवाओं हेतु प्रति उपभोक्ता मासिक औसत राजस्व (एआरपीयू)	125 रुपए
राजस्व और उपयोग मानदण्ड (सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए)	
जीएसएम पूर्ण मोबिलिटी सेवा हेतु मासिक एआरपीयू	122 रुपए
सीडीएमए पूर्ण मोबिलिटी सेवा हेतु मासिक एआरपीयू	106 रुपए
जीएसएम पूर्ण मोबिलिटी सेवा के लिए प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह उपयोग मिनट (एमओयू)	374 मिनट
सीडीएमए पूर्ण मोबिलिटी सेवा के लिए प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह उपयोग मिनट (एमओयू)	256 मिनट
इंटरनेट टेलीफोनी हेतु कुल बहिर्गामी (ऑऊटगोईंग) उपयोग मिनट	294 मिलियन
मोबाइल उपभोक्ताओं के द्वारा डॉटा उपयोग (सितंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए)	
जीएसएम हेतु प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह डॉटा उपयोग	109.89 एमबी
सीडीएमए हेतु प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह डॉटा उपयोग	316.37 एमबी
प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह डॉटा उपयोग–कुल (जीएसएम+सीडीएमए)	120.11 एमबी

———